राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

(1) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 13200/2019

1. सीता देवी एजुकेशनल सोसायटी, भीलवाड़ा अपने सचिव, भावना तोतला, पत्नी श्री पुष्पेंद्र कुमार तोतला, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी 7, सुजुकी एन्क्लेव, चित्तौड़गढ़ रोड, भीलवाड़ा (राजस्थान) के माध्यम से।

2. प्रबंध समिति, सीता देवी कॉलेज, न्यू पानी की टंकी, सिंधू नगर, भीलवाडा (राजस्थान) सचिव भावना तोतला के माध्यम से।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक (निजी संस्थान), ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।

4. उप निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

5. शहरी सुधार ट्रस्ट, भीलवाड़ा अपने सचिव के माध्यम से, भीलवाड़ा, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

<u>से संबद्ध</u>

(2) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7841/2016

1. श्री जी सेवार्थ समिति, 314-बी, शास्त्री नगर, भीलवाडा अपने सचिव, श्री नितिन जैन, पुत्र श्री सुरेश जैन, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी भदादा बाग, गुलाबपुरा, जिला भीलवाडा (राजस्थान) के माध्यम से।

2. इंदिरा प्रोफेशनल संस्थान कॉलेज, मेन रोड, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा अपने सचिव, श्री नितिन जैन, पुत्र श्री सुरेश जैन, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी भदादा बाग, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) के माध्यम से।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य अपने प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, (निजी संस्थान), ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वशासन, सिविल लाइन्स, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(3) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3966/2017

1. गायत्री शिक्षा एवं सेवा संस्थान, कोटडा, इसके अध्यक्ष श्री जयन्त पांचाल, पुत्र श्री, ग्राम एवं पोस्ट अरथूना, तहसील गढ़ी, जिला भीलवाड़ा के माध्यम से।
2. वागड़ महाविद्यालय, ग्राम दवेला-कोटड़ा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, मनागिन, ग्राम व पोस्ट अरथूना, तहसील गढ़ी, जिला भीलवाड़ा।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य अपने प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, निजी संस्थाएँ, खंड-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वशासन, सिविल लाइन्स, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(4) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4033/2017

1. श्री राम कृष्ण परमहंस विकास समिति, बांसवाड़ा अपनी अध्यक्ष श्रीमती के माध्यम से। जयश्री आचार्य, वाई, मोहन कॉलोनी, गांव व पोस्ट पालोदा, जिला बांसवाड़ा।

2. प्रबंध समिति, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, अध्यक्ष श्रीमती जयश्री आचार्य, डब्लू, मोहन कॉलोनी, ग्राम व पोस्ट पालोदा, जिला बांसवाड़ा के माध्यम से।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य अपने प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

3. आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

4. संयुक्त निदेशक, निजी संस्थाएँ, खंड-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(5) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1803/2018

1. वागड़ इन्फोटेक शिक्षा समिति, 79, नाथेलाव कॉलोनी, कबीर मंदिर के पीछे, दाहोद रोड, बांसवाड़ा 327001, राजस्थान।

2. वागड़श्री कॉलेज, त्रिपोलिया रोड, घंटाघर पैलेस, बांसवाड़ा 327001।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य अपने प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक निजी संस्थाएँ, ब्लॉक 4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(6) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5864/2019

1. गुरुकुल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, डूंगरपुर

2. प्रबंधन समिति, गुरुकुल महाविद्यालय सदवाड़ा, जिला डूंगरपुर, इसके सचिव श्री शरद जोशी पुत्र श्री मोहन लाल जोशी, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी गुरुकुल परिसर, बिछीवाड़ा रोड, डूंगरपुर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके माध्यम से प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएं), खंड-4, शिक्षा संकुल जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(7) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 10222/2019

1. गायत्री शिक्षा एवं सेवा संस्थान, कोटड़ा, अपने अध्यक्ष श्री के.एल. के पुत्र श्री जयन्त पांचाल के माध्यम से। पंचाल, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट अरथूना, तहसील गढ़ी, जिला भीलवाड़ा।

2. वागड़ महाविद्यालय, ग्राम दवेला-कोटडा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, इसके अध्यक्ष श्री के.एल. के पुत्र श्री जयन्त पांचाल के माध्यम से। पंचाल, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट अरथूना, तहसील गढ़ी, जिला भीलवाड़ा।

3. श्री राम कृष्ण परमहंस विकास समिति, बांसवाड़ा, इसके अध्यक्ष श्रीमती के माध्यम से। जया श्री आचार्य, पत्नी श्री प्रसन्न आचार्य, निवासी मोहन कॉलोनी, ग्राम व पोस्ट पालोदा, जिला बांसवाड़ा।

4. प्रबंधन समिति, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, इसके अध्यक्ष श्रीमती जया श्री आचार्य, पत्नी श्री प्रसन्न आचार्य, निवासी मोहन कॉलोनी, ग्राम व पोस्ट पालोदा, जिला बांसवाड़ा के माध्यम से।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक, (निजी संस्थान), खंड-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(8) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 13652/2019

1. सिद्धनाथ सेवा संस्थान, बांसवाड़ा अपने सचिव के माध्यम से, तरूण त्रिवेदी पुत्र श्री रमेश चंद्र त्रिवेदी, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट छींच, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा।

2. प्रबंध समिति, सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय, गणेशपुरा अंबापुरा, तहसील आबापुरा, जिला बांसवाड़ा, सचिव के माध्यम से, तरूण त्रिवेदी पुत्र श्री रमेश चंद्र त्रिवेदी, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट छींच, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा।

3. माही फाउंडेशन सोसायटी, बांसवाड़ा अपने सचिव के माध्यम से, श्री सुनील यादव, पुत्र श्री केवल कृष्ण यादव, उम्र 40 वर्ष, निवासी 22-23, ऋषि कुंज, रतलाम रोड, बांसवाड़ा।

4. माही कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम कटुम्बी, पो. छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा, इसके सचिव के माध्यम से, श्री सुनील यादव, पुत्र श्री केवल कृष्ण यादव, उम्र 40 वर्ष, निवासी 22-23, ऋषि कुंज, रतलाम रोड, बांसवाड़ा।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा (निजी संस्थान), राजस्थान, ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल,

जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।

4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, विंग ॥, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

----प्रत्यर्थीगण

(9) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 13806/2019

1. श्री नाथ शिक्षण संस्थान, अगरपुरा कॉलोनी, बांसवाड़ा, इसके अध्यक्ष रणछोड़ गर्ग, पुत्र श्री शंकर लाल गर्ग, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी 85, अगरपुरा कॉलोनी, श्वेतांबर जैन मंदिर के पीछे, बांसवाड़ा के माध्यम से।

2. श्री नाथ कॉलेज, कुमजी का पारदा, पोस्ट गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, इसके निदेशक प्रबंध समिति के माध्यम से, रणछोड़ गर्ग, पुत्र श्री शंकर लाल गर्ग, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी 85, अगरपुरा कॉलोनी, श्वेतांबर जैन मंदिर के पीछे, बांसवाड़ा।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा (निजी संस्थान), राजस्थान, ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(10) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 13825/2019

1. आज़ाद बाल महिला विकलांग जन कल्याण संस्था, भीलवाड़ा, राजस्थान। इसके सचिव श्री अमित सारस्वत, साजी का मोहल्ला, मंगला चौक, भीलवाड़ा, राजस्थान के माध्यम से।

2. पथिक महाविद्यालय, पोस्ट बिजोलिया अपने सचिव, अमित सारस्वत साजी का मोहल्ला, मंगला चौक, भीलवाड़ा, राजस्थान के माध्यम से।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक (निजी संस्थान), खंड-4, शिक्षा संकुल जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

----प्रत्यर्थीगण

(11) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 14157/2019

1. वागड़ मेवाड़ कल्याण विकास संस्थान, बांसवाड़ा (राजस्थान) निदेशक प्रतीक के. जैन पुत्र श्री दिनेश जैन के माध्यम से, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी मकान संख्या 8, कलावत कॉलोनी, जय समंद रोड, तितारडी, उदयपुर, राजस्थान।

2. महात्मा गांधी कॉलेज, टाटिया क्रॉसिंग, मोराडी मिल के पास, टिम्बागामडी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा (राजस्थान) इसके निदेशक प्रबंध समिति के माध्यम से प्रतीक के. जैन पुत्र श्री दिनेश जैन, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी मकान संख्या 8, कलावत कॉलोनी, जय समंद रोड, तितारडी, उदयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके माध्यम से प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएं), खंड-4, शिक्षा संकुल जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(12) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7714/2021

1. नवसार्थक फाउंडेशन, रोड संख्या 2, मोहन कॉलोनी, बांसवाड़ा इसके मुख्य कार्यकारी, मनीष त्रिवेदी पुत्र श्री लक्ष्मीकांत त्रिवेदी, निवासी शिव हनुमान मंदिर के पास,

हाउसिंग बोर्ड, बांसवाड़ा (राजस्थान) के माध्यम से।

2. लियो कॉलेज, लियो कैंपस, डांगपाड़ा, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा इसके कार्यकारी निदेशक, मनीष त्रिवेदी पुत्र श्री लक्ष्मीकांत त्रिवेदी, निवासी शिव हनुमान मंदिर के पास, हाउसिंग बोर्ड, बांसवाड़ा (राजस्थान) के माध्यम से।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, जेएलएन मार्ग, शिक्षा संकुल, जयपुर, राजस्थान।

3. निदेशक, स्थानीय निकाय, सी-स्कीम, जयपुर।

4. नगर परिषद, बांसवाड़ा, अपने आयुक्त, गांधी मूर्ति, बांसवाड़ा (राजस्थान) के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(13) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8406/2017

श्री प्राज्ञ महिला महाविद्यालय, मंजरी कल्लन, नीमराणा, जिला-अलवर, इसके सचिव के माध्यम से, श्री बलजीत कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह, उम्र-48 वर्ष, निवासी शिक्षक कॉलोनी, बहरोड़, जिला-अलवर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक निजी संस्थान कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

4. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(14) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8407/2017

कोश्यल्या देवी महिला महाविद्यालय, महाविद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री के, निवासी ग्राम-बसवा, तहसील-बसवा, जिला-दौसा राजस्थान के माध्यम।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक निजी संस्थाएँ, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से

----प्रत्यर्थीगण

(15) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8409/2017

श्री प्राज्ञ महिला महाविद्यालय, सोडावास, अजरका रोड, सोडावास, तहसील-मुंडावर, जिला अलवर, निवासी शिक्षक कॉलोनी, बहरोड़, जिला-अलवर। राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक निजी संस्थाएँ, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(16) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 27851/2018

श्री प्राज्ञ महिला महाविद्यालय, मंजरी कल्लन, नीमराना, श्री बलबीर सिंह जाति अहीर उम्र लगभग 49 वर्ष निवासी शिक्षक कॉलोनी, बहरोड़, जिला अलवर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(17) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 27855/2018

श्री प्राज्ञ महिला महाविद्यालय, सोडावास, अजरका रोड, सोडावास, तहसील मुंडावर, जिला अलवर अपने सचिव, श्री बलजीत कुमार पुत्र के माध्यम से। श्री बलबीर सिंह, जाति अहीर, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी शिक्षक कॉलोनी, बहरोड़, जिला अलवर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से।

प्रत्यर्थी

(18) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3427/2021

श्री प्राज्ञ महिला महाविद्यालय, सोडावास, अजरका रोड, सोडावास, तहसील मुंडावर, जिला अलवर अपने सचिव के माध्यम से, श्री बलजीत कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी शिक्षक कॉलोनी, बहरोड़, जिला अलवर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, आयुक्त के माध्यम से, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर (राजस्थान)

2. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(19) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3438/2021

श्री प्राज्ञ महिला महाविद्यालय, मंजरी कल्लन, नीमराना, जिला अलवर अपने सचिव, श्री बलजीत कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी शिक्षक कॉलोनी, बहरोड़, जिला अलवर (राजस्थान) के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, आयुक्त के माध्यम से, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर (राजस्थान)

2. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(20) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 17038/2019

शहीद भगत सिंह कॉलेज, कोटकासिम, अलवर, इसके अध्यक्ष विनय कुमार पुत्र श्री बंशी राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम मोमनपुर, तहसील बहरोड़, जिला। अलवर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, जयपुर।

3. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(21) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3439/2020

विवेकानन्द कन्या महाविद्यालय, धौलपुर सोसायटी के माध्यम से विवेकानन्द बाल महाविद्यालय शिक्षा समिति, धौलपुर सचिव बलवीर सिंह वर्मा पुत्र के माध्यम से। श्री ग्यारसीराम, निवासी. विवेकानन्द कॉलेज के पास, तालिया रोड, जिला धौलपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

(22) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3450/2020

पंडित उमा दत्त गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, उमा नगर, जी.टी. रोड, धौलपुर थ्रू सोसायटी इंदिरा गांधी शिक्षण संस्थान, जी.टी. रोड, धौलपुर के माध्यम से प्राचार्य डॉ. संतोष लाल शर्मा पुत्र स्व. श। रोशन लाल शर्मा, उम्र 44 वर्ष, निवासी। उमा नगर, जी.टी. रोड धौलपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(23) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 17770/2019

लोक मान्य तिलक कॉलेज, रामगढ़, अलवर (राजस्थान) अपने मानद निदेशक, ऋषि राज शर्मा पुत्र श्री के माध्यम से। धर्मवीर शर्मा, निवासी बीरबल का मोहल्ला, अलवर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने अतिरिक्त मुख्य सचिव, कॉलेज शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
3. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग, बाबू शोभा राम, सरकार। आट्र्स कॉलेज परिसर, अलवर (राजस्थान)
4. संयुक्त निदेशक, (निजी महाविद्यालय), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(24) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 25209/2018

राजेश्वर महाविद्यालय, श्याम नगर, बहरोड़, अलवर अपने सचिव राजकुमार यादव, उम्र 36 वर्ष, पुत्र फूल सिंह यादव, निवासी श्याम नगर, बहरोड़, जिला अलवर (राजस्थान) के माध्यम से

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, जयपुर।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, जयपुर।
4. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(25) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 17609/2019

गार्गी महिला महाविद्यालय, शाहजहाँपुर, तहसील नीमराणा, जिला अलवर (राजस्थान) अपनी सचिव श्रीमती के माध्यम से। पूनम यादव पत्नी श्री भीम सिंह यादव, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम भूंगड़ा अहीर, तहसील मंडावर, जिला अलवर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, जयपुर।

3. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(26) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1753/2020

पंडित उमा दत्त गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, उमा नगर, जी.टी. रोड, धौलपुर थ्रू सोसायटी इंदिरा गांधी शिक्षण संस्थान, जी.टी. रोड, धौलपुर के माध्यम से प्राचार्य डॉ. संतोष लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री रोशन लाल शर्मा, उम्र 44 वर्ष, निवासी। उमा नगर, जी.टी. रोड, धौलपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(27) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1757/2020

विवेकानन्द कन्या महाविद्यालय धौलपुर, सोसायटी के माध्यम से विवेकानन्द बाल विद्यालय शिक्षा समिति, धौलपुर सचिव बलवीर सिंह वर्मा पुत्र के माध्यम से। श। ग्यारसीराम, निवासी. विवेकानन्द कॉलेज के पास, तालिया रोड, जिला धौलपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(28) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3544/2020

गुरु गोबिंद सिंह कन्या महाविद्यालय, रामगढ़, अलवर, इसके सचिव सरबजीत सिंह के माध्यम से, श्री हरभजन सिंह के पुत्र, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी, गुरु गोबिंद सिंह कन्या महाविद्यालय, रामगढ़, अलवर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, जयपुर।
3. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(29) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4027/2020

श्री प्राज्ञ महिला महाविद्यालय, मंजरी कल्लन, नीमराणा, जिला अलवर अपने सचिव के माध्यम से, श्री बलजीत कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह, जाति अहीर, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी शिक्षक कॉलोनी, बहरोड़, जिला अलवर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, आयुक्त के माध्यम से, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर (राजस्थान)।
2. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(30) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4028/2020

श्री प्राज्ञ महिला महाविद्यालय, सोडावास, अजरका रोड, सोडावास, तहसील मुंडावर, जिला अलवर, इसके सचिव के माध्यम से, श्री बलजीत कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह, जाति अहीर, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी शिक्षक कॉलोनी, बहरोड़, जिला अलवर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, आयुक्त के माध्यम से, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर (राजस्थान)
2. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(31) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3292/2021

सरस्वती कॉलेज रेनी अलवर, अपनी प्रबंध समिति के माध्यम से, सरस्वती शिक्षा संस्थान रेनी अलवर, अपने सचिव मदन लाल मीना पुत्र श्री राम खिलाड़ी मीना, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट परवेनी, अलवर के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से कन्या छात्रावास भवन बाबू शोभा राम राजकीय। आर्ट्स कॉलेज परिसर, अलवर।
2. आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ब्लॉक- 4 आर.के.एस संकुल जेएलएन रोड जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(32) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3293/2021

1. श्री मत्स्य पी.जी. कॉलेज, बाय पास रोड़ खेरली अलवर अपनी प्रबंध समिति मत्स्य आदर्श शिक्षा समिति खेरली के माध्यम से अपने सचिव अशोक कुमार पुत्र श्री

बृजलाल, निवासी ग्राम पोस्ट-भानोखर, कठूमर अलवर के माध्यम से।

2. श्री मत्स्य कॉलेज, गांधी रोड बड़ौदा मेव अलवर अपनी प्रबंध समिति मत्स्य आदर्श के माध्यम से। शिक्षा समिति खेरली सचिव अशोक कुमार पुत्र श्री बृजलाल, निवासी ग्राम पोस्ट-भनोखर, कठूमर अलवर के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से कन्या छात्रावास भवन बाबू शोभा राम राजकीय। आट्र्स कॉलेज परिसर, अलवर।

2. आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर, ब्लॉक-4 आर.के.एस संकुल जेएलएन रोड जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(33) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4439/2021

पलक कॉलेज, भनोखर, कठूमर, अलवर अपनी प्रबंध समिति के माध्यम से पलक शिक्षण संस्थान, कठूमर, अलवर अपने सचिव के माध्यम से श्री जितेंद्र शर्मा की पत्नी रश्मी शर्मा, निवासी घोसराना, कठूमर, अलवर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से, गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग, बाबू शोभा राम सरकार। आट्र्स कॉलेज परिसर, अलवर।

2. आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ब्लॉक- 4 आर.के.एस संकुल जेएलएन रोड जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(34) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4732/2021

पंडित उमा दत्त गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, उमा नगर, जी.टी. रोड, धौलपुर थ्रू सोसायटी इंदिरा गांधी शिक्षण संस्थान, जी.टी. रोड, धौलपुर के माध्यम से प्राचार्य डॉ. संतोष लाल शर्मा पुत्र

स्व. श। रोशन लाल शर्मा, उम्र 44 वर्ष, निवासी उमा नगर, जी.टी. रोड, धौलपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर रजिस्ट्रार के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
3. आयुक्त, कॉलेज राजस्थान, शिक्षा संकुल, जयपुर

----प्रत्यर्थीगण

(35) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4733/2021

विवेकानन्द कन्या महाविद्यालय धौलपुर, सोसायटी के माध्यम से विवेकानन्द बाल विद्यालय शिक्षा समिति, धौलपुर सचिव बलवीर सिंह वर्मा पुत्र के माध्यम से। श। ग्यासीराम, निवासी। विवेकानन्द कॉलेज के पास, तालिया रोड, जिला धौलपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर रजिस्ट्रार के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(36) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7150/2021

उत्कर्ष महाविद्यालय, अपनी प्रबंध समिति के माध्यम से उत्कर्ष शिक्षण संस्थान, वियर, जिला। भरतपुर अपने अध्यक्ष श्री पूरन मल पुष्प पुत्र श्री भोला राम, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम भुसावर गेट, वियर, जिला के माध्यम से। भरतपुर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से।

2. आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर ब्लॉक-4 आर.के.एस संकुल जेएलएन रोड जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(37) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7151/2021

प्रबंध समिति नव सृजन विकास संस्थान, डीग रोड, कुम्हेर, जिला भरतपुर अपने सचिव श्री हरिओम पुत्र श्री जयंती प्रसाद, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी गायत्री मंदिर के पास, शांति कुंज, डीग रोड, कुम्हेर के माध्यम से,

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से।

2. आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ब्लॉक- 4 आर.के.एस संकुल जेएलएन रोड जयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

(38) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 291/2021

सिद्धि विनायक महाविद्यालय, अपनी सचिव श्रीमती गायत्री बाई मीना पत्नी रमेश चंद मीना उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी रोडवेज डिपो के पास, सर्किट हाउस रोड, सवाईमाधोपुर, राजस्थान के माध्यम से। कॉलेज का पता- वीपीओ वज़ीरपुर जिला। सवाईमाधपुर राजस्थान (सर्व विद्या प्रदायनी सेवा समिति, सवाईमाधपुर के तत्वाधान में) राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, सरकार के माध्यम से। राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

2. कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, अपने आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-IV, आर.के.एस. के माध्यम से। संकुल, जे.एल.एन. रोड, जयपुर (राजस्थान)

3. संयुक्त निदेशक (निजी संस्थान), कॉलेज शिक्षा, ब्लॉक-IV, आर.के.एस. संकुल, जे.एल.एन. रोड, जयपुर (राजस्थान)

4. प्राचार्य (नोडल अधिकारी), राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी राजस्थान।

5. कोटा विश्वविद्यालय अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, कबीर सर्कल के पास, एमबीएस मार्ग, स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

(39) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1057/2021

राहुल चंडीजा मेमोरियल कॉलेज, वि. भानपुर कलां, तहसील जमवा रामगढ़, जयपुर (राजस्थान) अपने सचिव भंवर लाल गुर्जर पुत्र कल्याण सहाय, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम के माध्यम से। घाटा जलधारी, पोस्ट बसना, तहसील जामवा रामगढ, जयपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, जयपुर।

3. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(40) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8189/2021

ज्ञान कुंज कॉलेज, लडूंडा, सूरजगढ़, झुंझुनू अपने सचिव महावीर प्रसाद पुत्र प्रभात राम उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी लडूंडा, सूरजगढ़, झुंझुनू के माध्यम से।

-------याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, जयपुर।

3. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(41) एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8648/2021

माँ भगवती डिग्री कॉलेज, पिचूना, तहसील रूपवास, जिला। भरतपुर (राजस्थान) अपने सचिव के माध्यम से श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी पुत्र श्री शंकर लाल, उम्र लगभग 58 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट पिचूना, तहसील रूपवास, जिला। भरतपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त सह विशेष सचिव, कॉलेज शिक्षा, सिखा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री महेंद्र शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ

श्री कमलेश शर्मा, अधिवक्ता

सुश्री प्रज्ञा सेठ, अधिवक्ता

सुश्री सारा एस शर्मा, अधिवक्ता

श्री आशीष शर्मा उपाध्याय, अधिवक्ता

श्री नवीन धुवन, अधिवक्ता

श्री मनु भार्गव, अधिवक्ता

श्री रविकांत शर्मा, अधिवक्ता

श्री संजय जोशी, अधिवक्ता

श्री बी.एल. सैनी, अधिवक्ता

श्री विजय जैन, अधिवक्ता

श्री के.ए. खान, सलाहकार.

श्री अतर सिंह, अधिवक्ता,

श्री हिमांशु जैन, अधिवक्ता

श्री संजय शर्मा, अधिवक्ता

श्री आशीष कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री प्रखर गुप्ता, अधिवक्ता

डॉ. वी.बी. के लिए शर्मा, एएजी

श्री आदित्य शर्मा, डिप्टी जीसी

श्री लोकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता

श्री विनोद कुमार गुप्ता, अधिवक्ता

श्री सुधीर यादव, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

निर्णय/आदेश

रिपोर्टेबल

सुरक्षित करने की तारीख 15/02/2022

उच्चारित करने की तारीख 11/03/2022

1. लगभग सामान्य कारणों से जुड़ी ये सभी रिट याचिकाएं राजस्थान राज्य और अन्य में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/11/2021 के तहत इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हैं। बनाम लोक मान्य तिलक कॉलेज, रामगढ़, अलवर

(खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 690/2021) जिसके तहत माननीय खंडपीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

> *"अपीलार्थी-राज्य सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित इसी तरह के अंतरिम आदेश के विरूद्ध राज्य ने खंडपीठ विशेष अपील (रिट) संख्या 646/2021 को दायर की थी, जिसका 17.08.2021 को निपटारा कर दिया गया, जिससे याचिकाकर्ता को छूट मिल गई। सुनवाई की पूर्व तिथि निर्धारित करने के लिए विद्वान एकलपीठ को स्थानांतरित करें। परिणामस्वरूप, विद्वान एकलपीठ से अनुरोध किया गया और वे याचिकाएँ 22.11.2021 को सुनवाई के लिए आ रही हैं। सिविल रिट याचिका संख्या 17770/2019 को भी इसके साथ विद्वान एकलपीठ के समक्ष इसी तरह के मामले टैग किया जाए।*
>
> *तदनुसार, अपील का निपटारा किया जाता है।"*

2. ऊपर उल्लिखित माननीय खंडपीठ की टिप्पणियों के अनुसार, सभी जुड़े मामलों को या तो इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार या सामान्य कारण वाले विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ताओं के आग्रह पर टैग किया गया था।

3. इन सभी रिट याचिकाओं को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था और मुख्य मामलों को उन मुद्दों के आधार पर निपटान के लिए लिया गया था जो तथ्यों पर समान थे लेकिन अलग-अलग प्रार्थनाएं कर रहे थे।

4. रिट याचिका का पहला सेट आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान द्वारा जारी नीति को क्षेत्राधिकार के बिना अस्थायी मान्यता में कमियों को अधिकारहीन और अवैध के रूप में नियमित करने के लिए जुर्माना लगाने की घोषणा के लिए था। इस संबंध में, सीता देवी एजुकेशनल सोसायटी बनाम राजस्थान राज्य (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 13200/2019) का प्रमुख मामला। पर सुनवाई हुई, जिस पर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता-श्रीमान महेंद्र शाह ने बहस की।

5. रिट याचिकाओं के दूसरे सेट में, अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने की मांग के अलावा, वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए निजी कॉलेज नीति के खंड 13 को अपास्त करने के लिए एक अतिरिक्त प्रार्थना की गई थी। इस संबंध

में, लोक मान्य तिलक कॉलेज बनाम राजस्थान राज्य (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 17770/2019) का प्रमुख मामला। पर सुनवाई हुई, जिस पर श्री मनु भारद्वाज, अधिवक्ता ने बहस की। और अन्य संबंधित परामर्श।

6. रिट याचिकाओं की तीसरी और अंतिम श्रेणी एनओसी जारी करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश जारी करने या संबद्धता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय को परीक्षा में शामिल होने या अस्थायी मान्यता के विस्तार के लिए निर्देश देने या छात्रों को पूर्व छात्र से नियमित छात्र घोषित करने या छात्रों को अनुमति देने के लिए की गई प्रार्थना थी। इस संबंध में, सरस्वती कॉलेज, रेनी, अलवर में मुख्य मामले (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3292/2021) पर श्री रविकांत शर्मा, अधिवक्ता द्वारा बहस की गई।

7. उपरोक्त कई मामलों की सुनवाई के बाद, पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क जो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेंद्र शाह ने उठाया, वह कमियों को पूरा करने के लिए दंड के माध्यम से आर्थिक दंड लगाने के लिए आयुक्त, कॉलेज शिक्षा की शक्तियों से संबंधित था। अस्थायी मान्यता प्रदान करना और एनओसी जारी करने के लिए जुर्माना लगाकर इसे नियमित करना। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि विभिन्न वर्षों के लिए नीति के दंडात्मक प्रावधानों को अधिकारहीन, अवैध और आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के अधिकार क्षेत्र से परे घोषित किया जाता है, तो तत्काल मामले का निर्णय किया जा सकता है और परिणामी राहत मांगी जा सकती है। प्रार्थनाएँ एनओसी/नीति और छात्रों के वर्गीकरण के मुद्दों पर ध्यान दिए बिना दी जा सकती हैं।

8. उक्त प्रस्तुतीकरण के आलोक में और राज्य, विश्वविद्यालयों की ओर से श्री प्रखर गुप्ता, श्री विनोद गुप्ता और अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ताओं की सहमति पर, शुरुआत में इन मामलों पर विचार करने पर सहमति हुई। नीति जारी करने के लिए आयुक्त, कॉलेज शिक्षा की सक्षमता के बिंदु पर और विशेष रूप से इसके तहत जुर्माना लगाने की शक्तियों के बारे में और क्या यह राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 के तहत विधिक, क्षेत्राधिकार वैध और स्वीकार्य है या नहीं।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेंद्र शाह ने 1989 के अधिनियम की धारा 2(ङ), 2(पी), 3, 5, 7, 33, 34, 42 और 43 के प्रावधानों पर भरोसा किया, जो इस प्रकार हैं: -

"2. परिभाषा

2(क)....

2(ख)....

2(ग)....

2(घ)....

*2(ङ) **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी, इस अधिनियम के तहत ऐसे क्षेत्र के लिए या मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के ऐसे वर्ग के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के कार्यों को करने के लिए जैसाकि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है;*

2(च)....

2(छ)....

2(ज)....

2(झ)....

2(ञ)....

2(ट)....

2(ठ)....

2(ड)....

2(ढ)....

2(ण)....

*2(त).... **"गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान"** का अर्थ है कोई कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण संस्थान या कोई अन्य संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से नामित, स्थापित और संचालित हो, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना या कोई प्रमाणपत्र, डिग्री, डिप्लोमा या कोई शैक्षणिक प्राप्त करने के लिए छात्रों को तैयार करना या प्रशिक्षण देना हो। राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्टता या राज्य में लोगों के शैक्षिक, सांस्कृतिक या*

शारीरिक विकास के लिए कार्य करना और जिसका न तो स्वामित्व है और न ही इसका प्रबंधन राज्य या केंद्र सरकार या किसी विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केंद्र सरकार स्वामित्व या नियंत्रण वाले अन्य प्राधिकरण के पास है।

3. ***संस्थानों की मान्यता.- (1)*** *किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त संस्थानों के मामले को छोड़कर, सक्षम प्राधिकारी, निर्धारित प्रपत्र और तरीके से किए गए आवेदन पर, किसी को मान्यता दे सकता है। गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान ऐसे नियमों और शर्तों को पूरा करने पर जो निर्धारित की जा सकती हैं:*

[परंतु किसी भी संस्था को तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक कि वह राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 (अधिनियम संख्या 28, 1958) के तहत पंजीकृत न हो या वह राजस्थान सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 28) के तहत पंजीकृत किसी सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा हो 1959 का 42) या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 (1882 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2) के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए ट्रस्ट द्वारा।]

(2) किसी संस्थान की मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और उस पर निर्णय आवेदन प्राप्त होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर आवेदक को सूचित किया जाएगा और, जहां मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है, कारण बताएं इसके लिए आवेदक को उक्त अवधि के भीतर सूचित भी किया जाएगा।

5. ***मान्यता वापस लेना*** *- जहां किसी संस्थान का प्रबंधन धोखाधड़ी, गलत बअर्थात या भौतिक विवरणों को छिपाकर मान्यता प्राप्त करता है या जहां, मान्यता प्राप्त करने के बाद, कोई संस्थान उप-धारा (1) के तहत निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है। धारा 3, मान्यता प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी ऐसे*

प्रबंधन को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद मान्यता वापस ले सकता है।

*7. **मान्यता प्राप्त संस्थानों को सहायता प्रदान करना.**— [(1) किसी संस्थान द्वारा अधिकार के रूप में किसी सहायता का दावा नहीं किया जाएगा और इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत दी गई सहायता को राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय रोका जा सकता है।]*

(2) गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान किसी भी सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

(3) ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, मंजूरी देने वाला प्राधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर मान्यता प्राप्त संस्थानों को सहायता मंजूरी और वितरित कर सकता है।

(4) सहायता संस्था के व्यय के ऐसे हिस्से को कवर कर सकती है जो निर्धारित किया जा सकता है।

(5) किसी संस्था के कर्मचारियों के वेतन के लिए दी गई सहायता राशि में से किसी भी राशि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

(6) मंजूरी देने वाला प्राधिकारी इस संबंध में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन पर सहायता रोक, कम या निलंबित कर सकता है।

(7) सहायता राशि का भुगतान सामान्यतः किसी संस्था की प्रबंध समिति के सचिव को किया जा सकता है, लेकिन, विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए, ऐसी राशि का भुगतान शिक्षा निदेशक द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। इस संबंध में उसके द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा।

33. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान को बिना सूचना दिए और सक्षम

प्राधिकारी को संतुष्ट किए बिना स्थानांतरित करने या बंद करने पर जुर्माना।- *कोई भी व्यक्ति जो धारा 13 या धारा 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या जहां ऐसा कोई उल्लंघन किसी एसोसिएशन द्वारा किया जाता है, प्रबंध समिति का प्रत्येक सदस्य दोषसिद्धि पर ऐसे संघ को जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है:*

बशर्ते कि प्रबंध समिति का ऐसा सदस्य, जिसने इसमें भाग नहीं लिया है या जो ऐसे निर्णय पर सहमत है, इस धारा के तहत किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

34. सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर जुर्माना.- *कोई व्यक्ति जो धारा 9 या धारा 12 की उपधारा (3) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या जहां ऐसा कोई उल्लंघन किसी एसोसिएशन द्वारा किया जाता है, प्रबंध समिति के प्रत्येक सदस्य को, दोषी पाए जाने पर जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है:*

बशर्ते कि प्रबंध समिति का ऐसा सदस्य, जिसने इसमें भाग नहीं लिया है या जो ऐसे निर्णय पर सहमत नहीं है, इस धारा के तहत किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

42. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- *राज्य सरकार के लिए यह वैध होगा कि वह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा उसमें निहित सभी या किसी भी शक्ति को शिक्षा विभाग के किसी प्राधिकारी या अधिकारी को सौंप दे और किसी को वापस ले ले। शक्ति इस प्रकार प्रत्यायोजित की गई।*

43. नियम बनाने की शक्ति.- *(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है.*

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित प्रदान कर सकते हैं -

(क) गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें;

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थानों का रखरखाव;

(ग) मान्यता प्राप्त संस्थानों को सहायता अनुदान देना;

(घ) मान्यता प्राप्त संस्थानों में फीस का आरोपण, विनियमन और संग्रह;

(ई) मान्यता प्राप्त संस्थानों में फीस की दरों को विनियमित करना;

(च) नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करके राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश को विनियमित करना;

(छ) वह तरीका जिससे सहायता प्राप्त संस्थानों में लेखे, रजिस्टर या रिकॉर्ड बनाए रखे जाएंगे और ऐसे रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी;

(ज) मान्यता प्राप्त संस्थानों की प्रबंध समितियों के सचिवों द्वारा रिटर्न, विवरण, रिपोर्ट और लेखे प्रस्तुत करना;

(झ) मान्यता प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण और वह अधिकारी जिसके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा;

(ञ) मान्यता प्राप्त संस्थानों के लेखों को रखने और ऑडिट करने का तरीका;

(ट) शिक्षा के मानक और अध्ययन के पाठ्यक्रम; और

(ठ) इस अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी मामलों को स्पष्ट रूप से आवश्यक या अनुमति दी गई है।

(3) इस अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों से कम की अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो हो सकता है इसमें एक सत्र या दो क्रमिक सत्र शामिल होते हैं और यदि

जिस सत्र को इस प्रकार रखा गया है या उसके तुरंत बाद के सत्र की समाप्ति से पहले, राज्य विधानमंडल का सदन ऐसे किसी भी नियम में कोई संशोधन करता है या संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम होना चाहिए नहीं बनाया गया है, तो ऐसा नियम उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो, हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्दीकरण उसके तहत पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। "

10. उन्होंने राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 और विशेष रूप से जी.एस.आर. 52, नियम 2(च), 3, 5, 7 पर भरोसा किया, जो इस प्रकार है:-

जी.एस.आर. 52: *राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों आदि की मान्यता अनुदान सहायता और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:*

2. परिभाषाएँ -

2(क).....

2(ख).....

2(ग).....

2(घ).....

2(ङ).....

*2(च)..... **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी से है, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के तहत ऐसे क्षेत्र के लिए या मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान के ऐसे वर्ग के संबंध में अधिसूचना में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के कार्यों को करने के लिए अधिकृत है।;*

3. संस्थान की मान्यता.- *(1) मान्यता चाहने वाले विश्वविद्यालय से संबद्ध या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त [या कक्षा I से VIII] तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले] संस्थानों को छोड़कर प्रत्येक संस्थान को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।*

(2) उन संस्थानों के मामले को छोड़कर, जो या तो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, [या कक्षा I से VIII] तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते हैं] परिशिष्ट-III में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी, इसमें किए गए आवेदन पर कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-I), इसके बाद निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करने पर एक गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान को मान्यता देता है।

(3) किसी संस्था की मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और उस पर निर्णय इसके बाद निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक को सूचित किया जाएगा।

5. मान्यता के लिए प्रक्रिया.- *(1) किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को छोड़कर, [या कक्षा I से VIII] तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले] मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक शैक्षणिक संस्थानों को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट) में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा-I) परिशिष्ट-III में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को, बशर्ते कि वह समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करता हो।*

(2) संस्था अपना आवेदन 28 फरवरी तक सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित प्रोफार्मा में प्राप्त सभी आवेदनों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा:-

क्र. सं	दिनांक	संस्था का नाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण अधिकारी का नाम एवं	निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्ष	सक्षम प्राधिकारी का निर्णय	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी

.				पदनाम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(4) सक्षम प्राधिकारी 31 मार्च तक प्राप्त सभी आवेदनों की जांच पूरी कर लेगा और एक पक्षकार द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था करेगा जिसमें शामिल होंगे -

(i) (क) शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी, या

(ख) परिशिष्ट - III के अनुसार सक्षम प्राधिकारी;

(ii) संस्थान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षाविद्;

(iii) सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय की लेखा शाखा का प्रमुख।

(5) निरीक्षण दल परिशिष्ट-2 में निर्धारित मानदंडों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए संस्थान का निरीक्षण करेगा और 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो संस्था से 15 मई तक अतिरिक्त अपेक्षित जानकारी मांगेगा, यदि कोई हो।

(6) निरीक्षण दल प्रत्येक निर्धारित नियम और शर्तों के संदर्भ में एक स्पष्ट सिफारिश दर्ज करेगा और जैसा भी मामला हो, अस्थायी मान्यता या स्थायी मान्यता जारी रखने के लिए अपनी सिफारिशें देगा।

(7) संस्थान उपरोक्त (5) में परिकल्पित आवश्यक जानकारी अधिकतम 15 जून तक सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी अपने अंतिम निर्णय से संबंधित संस्थान को 30 जून तक पंजीकृत डाक से सूचित करेगा।

(9) सक्षम प्राधिकारी संस्थानों की गतिविधियों और कार्यों पर पर्यवेक्षण के लिए समय-समय पर संस्थानों के निरीक्षण की भी व्यवस्था करेगा और इस उद्देश्य के लिए रखी गई फाइल पर अपने निष्कर्षों को दर्ज करेगा।

7. मान्यता वापस लेना.- *(1) मान्यता प्रदान करने वाला सक्षम*

प्राधिकारी, प्रबंधन को मान्यता वापस लेने की प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद, इस अध्याय के तहत दी गई अपनी अस्थायी या स्थायी मान्यता निम्नलिखित परिस्थितियों में वापस ले सकता है :-

(क) यदि किसी संस्थान के प्रबंधन ने धोखाधड़ी/गलत बअर्थात या भौतिक विवरणों को छिपाकर मान्यता प्राप्त की है या मान्यता प्राप्त करने के बाद, कोई संस्थान इन नियमों के परिशिष्ट-II में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है;

(ख) यदि प्रबंधन ने सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना शैक्षणिक संस्थान या उसके किसी हिस्से को बंद कर दिया है;

(ग) यदि प्रबंधन ने सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना शैक्षणिक संस्थान को किसी अन्य भवन या स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है;

(घ) यदि संस्थान का प्रबंधन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना किसी अन्य प्रबंधन समिति/संस्थान को स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ङ) यदि अस्थायी मान्यता की अवधि समाप्त होने पर प्रबंधन अस्थायी मान्यता की अवधि बढ़ाने या स्थायी मान्यता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा है;

(च) यदि संस्थान का प्रबंधन अपने कर्मचारियों को प्रत्येक अगले माह की 15 तारीख से पहले अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से पूर्ण वेतन और भत्तों का अनियमित भुगतान करने में विफल रहता है।

(2) इस बात से संतुष्ट होने पर कि संस्थान उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में विफल रहा है, सक्षम प्राधिकारी संस्थान को सुनवाई का अवसर देने के बाद, एक विशिष्ट अवधि के लिए मान्यता निलंबित कर सकता है। इसके बाद यदि सक्षम

प्राधिकारी संतुष्ट है कि उक्त संस्थान ने निर्दिष्ट अवधि के भीतर संतोषजनक सुधार दिखाया है, तो वह मान्यता जारी रखने की अनुमति दे सकता है।

(3) सामान्यतः किसी शैक्षणिक संस्थान को एक बार दी गई मान्यता शैक्षणिक सत्र के अंत तक जारी रहेगी। लेकिन धोखाधड़ी, गलत बअर्थात या भौतिक तथ्यों को छुपाने के मामलों में, जिस पर मान्यता दी गई थी या ऐसे मामलों में, जहां संस्थान राज्य सरकार के शिक्षा निदेशक के आदेशों/निर्देशों का समय पर अनुपालन करने में विफल रहा है, सक्षम प्राधिकारी बाद में ऐसा कर सकता है। प्रबंधन को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का उचित अवसर देते हुए शैक्षणिक सत्र की छापेमारी के दौरान भी मान्यता वापस ले ली जाए।

(4) किसी भी संस्था को पूर्वव्यापी मान्यता नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण-

(1) ऐसे मामलों में, जहां पहले दी गई मान्यता वापस ले ली गई है, लेकिन दोबारा प्रदान की गई है, ऐसी संस्था को नई संस्था कहा जाएगा।

(2) किसी संस्था द्वारा किसी नए स्थान पर शाखा खोलने की स्थिति में, संस्था की ऐसी शाखा किसी नए स्थान पर, संस्था की ऐसी शाखा को नई संस्था कहा जाएगा और मान्यता के लिए उसके आवेदन पर तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।

11. उक्त प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि गैर-सरकारी निजी शैक्षणिक संस्थानों के लिए नीति जारी करते समय, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा अपने अधिकार क्षेत्र से परे चले गए हैं क्योंकि उन्होंने, जैसाकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 162, 163 और 166 के तहत अपेक्षित है, न तो अनुमोदन लिया है और न ही 1989 के अधिनियम की धारा 33 और 34 के आदेश के अनुसार, उन धाराओं के तहत निर्धारित के अलावा किसी अन्य उदाहरण पर जुर्माना लगाया जा सकता है। 1989 के अधिनियम की धारा 33 और 34 के अनुसार, जुर्माना केवल तभी लगाया जा सकता है जब 1989 के अधिनियम की धारा 13 या 14 के प्रावधानों

का उल्लंघन हो या जहां अधिनियम 1989की धारा 9 या 12 के प्रावधानों का उल्लंघन हो और उस मामले में भी, लगाए जाने वाले जुर्माने की अधिकतम राशि 1000/- रुपये है। उन्होंने आगे कहा कि 1989 के अधिनियम की धारा 42 के अनुसार, शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रयोग अधिनियम के तहत निहित किसी भी शक्ति के विशिष्ट प्रत्यायोजन के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है, अर्थात राज्य सरकार द्वारा केवल उन मामलों में जब अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में जारी और प्रकाशित की जाती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मौजूदा मामलों में, राज्य सरकार द्वारा जारी या राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित कोई अधिसूचना नहीं है जिसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया हो जिससे जुर्माना लगाया जा सके और अत्यधिक भुगतान पर अस्थायी मान्यता को नियमित किया जा सके। शैक्षणिक वर्ष के आधार पर जारी पॉलिसियों के विशेष खंडों में निर्दिष्ट जुर्माना। उन्होंने आगे कहा कि 1989 के अधिनियम की धारा 43 के संदर्भ में, जो 1989 के अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देता है, जुर्माना लगाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है या यदि निर्भरता रखी गई है 1989 के अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (2) के खंड (ठ) पर, इसे 1993 के नियमों में निर्धारित किया जाना है। 1993 के नियम कहीं भी कमियों को नियमित करने के लिए जुर्माना लगाने की शक्तियां नहीं सौंपते हैं। अस्थायी मान्यता प्रदान करना/विस्तार करना और अतः, उन्होंने प्रस्तुत किया कि पॉलिसी के माध्यम से लगाए गए जुर्माने को जमा न करने के कारण एनओसी को रोकना न केवल अवैध है, बल्कि अधिकार क्षेत्र के बिना भी है। **उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम उनके कार्यकर्ता: ए.आई.आर. 1960 एससी 12; जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और अन्य बनाम सुभाष चंद्र यादव और अन्य: (1988) 2 एससीसी 351** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया। यह तर्क देने के लिए कि 1989 के अधिनियम के तहत आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के लिए 1989 के अधिनियम के मुख्य प्रावधानों और नियमों के दायरे को बढ़ाना स्वीकार्य नहीं है। कार्यकारी अधिकारियों के कृत्य क़ानून के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों से आगे नहीं बढ़ सकते। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 पर भरोसा किया और तर्क दिया कि 1989 के अधिनियम की धारा 42 के तहत निर्दिष्ट शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के लिए, राज्यपाल का प्रमाणीकरण और मंजूरी आवश्यक थी और राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशन सहित अनुमोदन

अनिवार्य था। उन्होंने **एम.आर.एफ.लिमिटेड और अन्य बनाम मनोहर पर्रिकर और अन्य: (2010) 11 एससीसी 374 और शांति स्पोर्ट्स क्लब और अन्य बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य: (2009) 15 एससीसी 705** मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया। उन्होंने अंततः **कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त: ए.आई.आर. 2021 एससी 1699,** विशेष रूप से पैरा 12 से 15 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया है कि जब क़ानून किसी कार्य को विशिष्ट तरीके से करने की शक्ति प्रदान करता है, तो उसका सम्मान उसी तरीके से किया जाना चाहिए। **कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** (सुप्रा.) में उक्त निर्णय के पैरा 12 से 15 इस प्रकार हैं: -

> *"12. आयात के लिए माल के मूल्यांकन और मंजूरी के बाद भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए शुल्क की वसूली करने की शक्ति की प्रकृति, मोटे तौर पर मूल्यांकन के पहले के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है। ऐसी शक्ति किसी भी प्राधिकरण में अंतर्निहित नहीं है वास्तव में, यह धारा 28 और अन्य संबंधित प्रावधानों द्वारा प्रदान किया गया है। यह शक्ति विशेष रूप से "उचित अधिकारी" को प्रदान की गई है, जिसका अर्थ आवश्यक रूप से उचित अधिकारी होना चाहिए, जिसने पहले उदाहरण में, माल का मूल्यांकन और मंजूरी दे दी है अर्थात डिप्टी आयुक्त मूल्यांकन समूह। वास्तव में, ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि हमें कोई राजकोषीय क़ानून नहीं दिखाया गया है जहां पुनर्मूल्यांकन या मूल्यांकन से बच गए कर्तव्यों को पुनर्प्राप्त करने की शक्ति अधिकारी रैंक के अधिकारी के अलावा किसी अन्य अधिकारी को प्रदान की गई है, जिन्होंने शुरू में माल का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया।*
>
> *13. जहां क़ानून अलग-अलग अधिकारियों को कार्य करने की समान शक्ति प्रदान करता है, जैसाकि इस मामले में है, दो अधिकारी, खासकर जब वे अलग-अलग विभागों से संबंधित हों, एक ही मामले में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जहां एक अधिकारी ने मूल्यांकन की अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने की*

शक्ति का प्रयोग भी उसी अधिकारी या उसके उत्तराधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य विभाग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, भले ही वह उसी रैंक का अधिकारी होने के लिए नामित हो। हमारे विचार में, इसके परिणामस्वरूप एक क़ानून का अराजक और अनियंत्रित संचालन होगा जिस पर क़ानून के निर्माण के किसी भी सिद्धांत द्वारा विचार नहीं किया गया है।

14. यह सर्वविदित है कि जब कोई क़ानून यह निर्देश देता है कि काम एक निश्चित तरीके से किया जाना चाहिए, तो उसे उसी तरीके से ही किया जाना चाहिए। जैसाकि इस मामले में है, जब क़ानून निर्देश देता है कि "उचित अधिकारी" यह निर्धारित कर सकता है कि शुल्क नहीं लगाया गया है/भुगतान नहीं किया गया है, तो इसका मतलब किसी उचित अधिकारी से नहीं बल्कि केवल उस उचित अधिकारी से है। हमें लगता है कि ऐसे अधिकारी को, जिसने मूल्यांकन के मूल आदेश को पारित नहीं किया है, इस आधार पर पुनर्मूल्यांकन की अनुमति देना पूरी तरह से अनुचित है कि मूल अधिकारी, जिसने माल खाली करने का निर्णय लिया था, द्वारा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था/नहीं लगाया गया था। और मूल्यांकन करने के लिए कौन सक्षम और अधिकृत था। मूल्यांकन से बच गए कर्तव्यों की वसूली के लिए धारा 28(4) द्वारा प्रदत्त शक्ति की प्रकृति किसी अधिनियम की प्रशासनिक समीक्षा की प्रकृति में है। अतः इस धारा को उसी अधिकारी या उसके उत्तराधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी समीक्षा की शक्ति प्रदान करने के रूप में समझा जाना चाहिए जिसे मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। दूसरे शब्दों में, एक अधिकारी जिसने मूल्यांकन किया था, वह केवल पुनर्मूल्यांकन कर सकता था [जो धारा 28(4) में शामिल है]।

15. यह स्पष्ट है कि कर्तव्यों का पुनर्मूल्यांकन और वसूली अर्थात धारा 28(4) द्वारा विचार एक ही प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, न कि अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी जैसे किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा। अतः, हमारे

लिए यह स्पष्ट है कि डी.आर.आई. के अतिरिक्त महानिदेशक धारा 28(4) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए "उचित" अधिकारी नहीं थे और वर्तमान मामले में वसूली कार्यवाही की शुरुआत बिना किसी अधिकार क्षेत्र के है और इसके लिए उत्तरदायी है, अलग रखा जाए।"

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शाह ने आगे कहा कि दिए गए मामलों में, नीति के अवलोकन पर, 1989 के अधिनियम और 1993 के नियमों के किसी भी प्रावधान का कोई संदर्भ नहीं है। राज्य द्वारा प्रदान किए गए व्यवसाय के नियमों के अनुसार कोई अनुमोदन और मंजूरी नहीं है। 1989 के अधिनियम या 1993 के नियमों के तहत दी गई शक्तियों में से कोई भी, ऊपर उल्लिखित, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा को एनओसी जारी करने के लिए जुर्माना जमा करने की शर्त बनाकर 1989 के अधिनियम के दायरे को बढ़ाने की मंजूरी नहीं देती है। अस्थायी मान्यता प्रदान करने में कमी है। अतः, उन्होंने तर्क दिया कि आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी की गई नीति में जिस हद तक दंड खंड प्रस्तावित किया गया है, उसे अलग रखा जाना चाहिए और अत्यधिक जुर्माना लगाकर एनओसी जारी करने के लिए वसूली आदेश न केवल अवैध, अधिकार क्षेत्र के बिना हैं, बल्कि अवैध भी हैं।

13. रिट याचिकाओं के दूसरे सेट में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनु भार्गव ने प्रस्तुत किया कि अस्थायी मान्यता न देने के लिए संस्था की ओर से कोई कमी नहीं है और प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी वसूली के आदेश खराब हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि कॉलेज की स्थापना 25/06/2005 को हुई थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने सत्र 2005-06 के लिए आवश्यक बातों पर विचार करने के बाद उसे अस्थायी एनओसी जारी की थी क्योंकि कॉलेज पिछड़े क्षेत्र में स्थित था और सरकार शिक्षा प्रदान करने के लिए निजी कॉलेजों को बढ़ावा देकर उक्त क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि 25/06/2005 से आज तक, अस्थायी मान्यता प्रदान की गई है, निरीक्षण दल नियमित रूप से वार्षिक आधार पर कॉलेज का दौरा कर रहा है। वर्ष 2007 में, भूमि की कमी को भी उनके द्वारा पूरा किया गया और उनके अनुसार, अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान करने के लिए आज तक कोई दोष/कमी मौजूद नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 27/08/2019 को, प्रत्यर्थी संख्या 3-विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्तागण-कॉलेजों को सत्र 2019-2020 के लिए एनओसी जमा करने या फिर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया ताकि छात्रों का

परिणाम घोषित किया जा सके। इससे पहले भी निजी महाविद्यालय नीति की बाध्यता के तहत 17/12/2014 को 1.75 लाख रुपये की राशि जमा की गई थी और फिर इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुपालन में 3 लाख रुपये की दर से राशि जमा की गई थी। अस्थायी मान्यता और एनओसी जारी करने में कमी के कारण प्रतिवर्ष 50,000/- रुपये का जुर्माना ताकि छात्रों को परेशानी न हो। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शैक्षणिक सत्र 2015-16 और 2016-17 के लिए निजी कॉलेज नीति के प्रावधान अधिकार क्षेत्र के बिना अवैध हैं, , जैसाकि रिट याचिका के पैरा संख्या 12 (क) में प्रस्तुत किया गया है। रुपये 5 लाख की राशि और फिर 6 लाख रुपये की मांग की गई है जो बहुत अधिक है और कानून में कहीं भी निर्दिष्ट नहीं है। कॉलेज शिक्षा आयुक्त, अपनी सनक और पसंद के आधार पर, अलग-अलग वर्षों के लिए, अलग-अलग दंड लगा रहे हैं और पिछड़े/पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित संस्थानों के लिए भी इसमें छूट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कॉलेज की स्थापना की गई थी और अस्थायी मान्यता दी गई थी, तब ऐसा कोई खंड मौजूद नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि जुर्माना केवल तभी लगाया जा सकता है जब यह अधिनियम और नियमों के तहत मौजूद हो। उन्होंने कहा कि एनओसी जारी न होने के कारण छात्रों को परेशानी हो रही है क्योंकि उनका परिणाम अभी तक रोक दिया गया है और उन्हें पूर्व छात्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है न कि नियमित छात्रों के रूप में।

14. रिट याचिकाओं के तीसरे सेट में, श्री रविकांत शर्मा, अधिवक्ता और संबंधित याचिकाकर्तागण के अन्य अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्तागण-कॉलेजों ने अपने मामले में एनओसी/संबद्धता प्रदान करने के लिए वार्षिक आधार पर 50,000/- रुपये की राशि जमा की है, लेकिन अभी तक उनके छात्रों का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज की स्थापना के बाद वर्षों से, प्रत्यर्थीगण द्वारा यह सुस्त कदम उठाया जाता है, जिसके तहत या तो एनओसी जारी नहीं की जाती है या पाठ्यक्रम के बीच में संबद्धता रोक दी जाती है, जिसके कारण कॉलेज/विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों को प्रवेश नहीं मिलता है। परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है या उनके परिणाम रोक दिए जाते हैं या उन्हें नियमित छात्रों के बजाय पूर्व छात्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ताओं ने मामले के शीघ्र निपटान और उदार दृष्टिकोण का अनुरोध किया।

15. इसके विपरीत, डॉ. वी.बी. शर्मा, एएजी के लिए श्री प्रखर गुप्ता, प्रत्यर्थी-राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता और संबंधित विश्वविद्यालय के लिए श्री विनोद गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि 1989 के अधिनियम का अध्याय-VII निर्दिष्ट करता है कि जुर्माना धारा 33 और 34 के प्रावधानों के अनुसार लगाया जा सकता है, लेकिन 1989 के अधिनियम की धारा 43 के साथ पठित धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें शिक्षा विभाग के कार्यकारी अधिकारियों/सक्षम प्राधिकारियों को शक्तियां सौंपी गई हैं और अधिनियम की धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार लगाया जाएगा। 1989 के नियमों को बनाने की शक्ति राज्य सरकार को सौंपी गई है, 1993 के नियमों का नियम 7 तैयार किया गया है।

16. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि 1993 के नियमों के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मान्यता को रोका जा सकता है और 1993 के नियमों के नियम 7(3) के प्रावधानों के अनुसार, ऊपर संदर्भित, जहां संस्थान शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों का समय पर अनुपालन करने में विफल रहा है, सक्षम प्राधिकारी, उचित अवसर देने के बाद, शैक्षणिक सत्र के मध्य के दौरान भी मान्यता रोक सकता है। यद्यपि राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलील में बहुत निष्पक्ष कहा कि छात्रों के लिए, राज्य उदार दृष्टिकोण रखता है और राज्य किसी भी तरह से छात्रों के करियर को परेशान या प्रभावित नहीं करना चाहता है या उन्हें परीक्षा में बैठने से रोकना नहीं चाहता है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **सेंट जॉन्स टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाम क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद और अन्यः (2003) 3 एससीसी 321** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि प्रशासनिक कानून के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत, यदि प्रश्न अत्यधिक प्रत्यायोजन का आता है, इसका विश्लेषण विषय वस्तु, अधिनियम की योजना, इसकी प्रस्तावना सहित क़ानून के प्रावधानों और इसके अधिनियमन की तथ्यात्मक और परिस्थितिजन्य पृष्ठभूमि के संबंध में किया जाना चाहिए। बल के पक्ष में उपधारणा होगी और यदि दो निर्माण संभव हो तो जो उसे वैध बनाये उसे अपनाना चाहिए।

17. उक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सभी निजी कॉलेज अस्थायी मान्यता पर चल रहे हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार की कमी है, जिसका उदाहरण भूमि, भवन की कमी कर्मचारी, शिक्षण संकाय, फर्नीचर या कोई

अन्य कारण है। वर्षों और दशकों से वे अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाते हैं और इसी तथ्य के कारण प्रवेश पाने वाले छात्रों को परेशानी होती है और उन्हें बलि का बकरा बना दिया जाता है और उनके करियर को ध्यान में रखते हुए नरम रुख अपनाया जाता है। इसे वर्षों तक दोहराया नहीं जा सकता है और परिणामस्वरूप, 1993 के नियमों के नियम 7 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा ने नीति तैयार करते समय एक दंड खंड जोड़ा है जिसके तहत निर्दिष्ट राशि जमा करने पर संबंधित वर्ष में अस्थायी मान्यता एक सीमा तक जारी रखी जा सकती है। उन्होंने **हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश निजी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र संघः (2011) 6 एससीसी 597** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया। उनका तर्क है कि नीतिगत मामलों की न्यायिक समीक्षा करते समय न्यायालयों को धीमी गति से काम करना चाहिए और हस्तक्षेप केवल तभी किया जाना चाहिए जब नीति संविधान या कानून के प्रावधान के विपरीत चलती हो। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मौजूदा मामले में, निजी कॉलेजों के लिए नीति अधिनियम, नियमों के प्रावधानों के अनुरूप और व्यवसाय के नियमों की उचित प्रक्रिया का पालन करके तैयार की गई थी। अतः, नीति विधिक और वैध है। विश्वविद्यालय और अन्य विभागों के अधिवक्ताओं द्वारा भी इसी तरह की दलीलें दी गईं।

18. इस न्यायालय ने मौजूदा मामलों के रिकॉर्ड, संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों और बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार किया है।

19. 1989 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उसमें बनाए गए 1993 के नियमों के साथ-साथ 1989 के अधिनियम की प्रस्तावना के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि 1989 का राजस्थान राज्य में गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम शिक्षा के बेहतर संगठन और विकास के लिए तैयार किया गया था। यह भी ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान रिट याचिकाओं में से अधिकांश निजी कॉलेज पिछड़े क्षेत्रों अर्थात पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं जहां उच्च शिक्षा के लिए ऐसे संस्थानों की अनुपलब्धता थी, राज्य सरकार ने निजी कॉलेज स्थापित करने की अनुमति दे दी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेजों को केवल इस तथ्य के आधार पर सशर्त आधार दिया गया कि बुनियादी ढांचे और धन की कमी के कारण, वे राजस्थान राज्य के गहरे क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करने में सक्षम नहीं थे। अतः गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गयी।

20. मान्यता के लिए कुछ अनिवार्य शर्तों में शामिल है कि कॉलेज का संचालन एक पंजीकृत सोसायटी या ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा और संस्थानों को भवन के लिए 1993 के नियमों के नियम 5 के परिशिष्ट-2 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं भूमि, शिक्षण संकाय, फर्नीचर, पुस्तकालय आदि को पूरा करना होगा।

21. याचिकाकर्तागण की तरह निजी कॉलेजों को नियम 3 के तहत मान्यता और परिशिष्ट-2 के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने पर संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता की आवश्यकता थी।

22. मौजूदा मामले में, याचिकाकर्तागण को उचित निरीक्षण, सत्यापन के बाद अस्थायी मान्यता दी गई थी और इसे जारी रखा गया था। विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्धता प्रदान की गई थी और उन छात्रों को नियमित आधार पर प्रवेश दिया गया था जो वर्षों से परीक्षा में उपस्थित हुए थे, लेकिन कथित कमियों के कारण, निजी नीति के संदर्भ में, विभिन्न वर्षों के लिए जुर्माना और वसूली शुरू की गई थी और जमा न करने या किसी अन्य कारण से, एनओसी जारी नहीं की गई और इसके परिणामस्वरूप, संबद्धता भी या तो विस्तारित नहीं की गई या रोक दी गई और परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्रों को प्रवेश-पत्र जारी नहीं करने या परिणाम की घोषणा न करने पर विवाद उत्पन्न हुए। परिणामस्वरूप, एनओसी/संबद्धता प्रदान करने, परीक्षा में बैठने और पूर्व-छात्र से नियमित छात्र में श्रेणी बदलने आदि की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं के उक्त सेट दायर किए गए थे।

23. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और 1989 के अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण करने पर, यह बहुत स्पष्ट है कि संबंधित धाराओं के उल्लंघन के लिए परिस्थितियों के सेट के तहत जुर्माना लगाने की एकमात्र शक्ति 1989 के अधिनियम की धारा 33 और 34 के तहत निहित है। स्पष्ट अर्थ में जुर्माना लगाने की कोई अन्य शक्ति 1989 के अधिनियम या 1993 के नियमों में निर्दिष्ट नहीं है। यहां तक कि प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता भी उक्त तर्क का खंडन करने और उस अधिसूचना को निर्दिष्ट करने में सक्षम नहीं थे जिसके तहत जुर्माना लगाने, कमी को नियमित करने और अस्थायी मान्यता प्रदान करने के लिए शक्तियां आयुक्त, कॉलेज शिक्षा को दी गई थीं। इसके अलावा, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ताओं ने निर्दिष्ट किया है कि न तो 1989 के अधिनियम की धारा 43 के प्रावधानों के

तहत और न ही 1993 के नियमों के तहत, जुर्माना लगाने की शक्ति निर्दिष्ट की गई है जिसके आधार पर जुर्माना नीति में शामिल किया जा सकता है। निजी कॉलेजों की नीतियों के अवलोकन पर भी, कानून या नियमों का कोई प्रावधान निर्दिष्ट या संदर्भित नहीं किया गया है जिसके तहत जुर्माना लगाया या सौंपा गया हो।

24. प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एकमात्र तर्क यह था कि 1993 के नियमों के नियम 7(3) के तहत, यदि संस्थान निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है, तो मान्यता सक्षम प्राधिकारी या द्वारा वापस ली जा सकती है। शिक्षा निदेशक लेकिन 1993 के नियमों के नियम 7(3) में कहीं भी यह निर्दिष्ट नहीं है कि जुर्माना लगाया जा सकता है और अस्थायी मान्यता/स्थायी मान्यता को नियमित या बढ़ाया जा सकता है।

25. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्भरता का स्थान-**सेंट जॉन्स टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सुप्रा.)** में निर्णय पर राज्य तत्काल मामलों के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि प्रत्यायोजित शक्तियां अधिनियम के तहत स्वीकार्य होनी चाहिए। दिए गए मामले में, 1989 के अधिनियम की धारा 42 के आधार पर, जुर्माना लगाने के लिए न तो कोई अधिसूचना जारी की गई थी और न ही इसे प्रकाशित किया गया था और न ही राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। मौजूदा मामलों में, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा स्वतः शक्तियों का प्रयोग बिना किसी आधार के, बिना किसी कानून के अधिकार के स्वेच्छा से किया गया था, जिसे 1989 के अधिनियम या 1993 के नियमों के तहत कभी भी निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

26. यह सच है कि न्यायालयों को नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए, लेकिन यह भी एक स्थापित कानून है कि यदि कोई नीति, निर्देश, पत्र या दिशा-निर्देश शक्तियों से परे, कानून के अधिकार के बिना अवैध रूप से जारी किया जाता है तो न्यायिक समीक्षा की अनुमति है। अधिनियम के तहत दिया गया है और 1989 के अधिनियम और 1993 के नियमों जैसे श्रेष्ठ कानूनों के प्रावधानों को खत्म कर रहा है।

27. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, **एच.पी. राज्य और अन्य. (सुप्रा.)** के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय भी अलग-अलग है और दिए गए मामलों के सेट में लागू नहीं है।

28. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ताओं ने **द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सुप्रा.)** में

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है, जिसमें यह माना जाता है कि नीति के दायरे में, अधिनियम और नियमों का दायरा और प्रावधान नहीं हो सकते हैं।

29. यह भी विचार किया जाना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में माना है कि अधीनस्थ/प्रत्यायोजित कानून को संवैधानिक प्रावधानों और व्यापार के नियमों के संदर्भ में और अनुरूपता या सार में परीक्षण किया जाना चाहिए।

30. वर्तमान मामलों में, न तो 1989 के अधिनियम या 1993 के नियमों ने 1989 के अधिनियम की धारा 33 और 34 के अलावा जुर्माना लगाने के लिए कोई विशिष्ट शक्ति दी है। यहां तक कि कॉलेज शिक्षा आयुक्त द्वारा जारी की गई नीतियां भी इसमें हैं जैसाकि कॉलेजों के निर्माण के समय कोई दंडात्मक धारा नहीं थी और बाद के वर्षों में, अर्थात 2015 और 2016 में, इसे 6 लाख रुपये की सीमा तक अत्यधिक प्रयोग किया गया और बाद के वर्षों में, इसे प्रतिवर्ष के आधार पर 50,000/- रुपये की सीमा तक, बिना किसी तर्क के, केवल आयुक्त, कॉलेज शिक्षा की सनक और इच्छा पर कम कर दिया गया।

31. यह **जे.के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य: (2007) 13 एससीसी 673** और **एम.आर.एफ. लिमिटेड और अन्य (सुप्रा.)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रशासनिक कानून के तहत प्रत्यायोजित कानून या सहायक या अधीनस्थ कार्यों के तहत अर्थात विवरण भरने की शक्ति, निर्देश पारित किए जा सकते हैं या नीतियां केवल उस सीमा तक बनाई जा सकती हैं जो अधिनियम द्वारा अनुमति दी गई है; उन्हें अधिनियम या नियमों का पूरक होना चाहिए और वे अधिनियम का स्थान नहीं ले सकते; वे मूल अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और यदि ऐसा है, तो शक्तियों का ऐसा प्रयोग अनधिकृत, अधिकार क्षेत्र से बाहर और अवैध है।

32. इसी तरह, ***खंडपीठ सीडब्ल्यूपी 969/2022*** में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा ***सुदेश तनेजा बनाम आयकर अधिकारी एवं अन्य*** शीर्षक से तय की गई संबंधित याचिकाओं के समूह में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आक्षेपित नोटिसों से निपटने के दौरान 27.01.2022 को निर्णय लिया गया, विभिन्न वर्षों के मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन करते हुए माना गया कि एक अधीनस्थ कानून अधिनियम और प्रत्यायोजित कानून द्वारा निहित शक्तियों से परे नहीं जा सकता है।

मूल क़ानून के चार कोनों के भीतर होना चाहिए।

33. दिए गए मामले में, यहां तक कि वाक्यांश 'प्रत्यायोजित विधान' या 'प्रत्यायोजित निर्देश' को भी इस कारण से जारी नहीं रखा जा सकता है कि न तो पॉलिसी 1989 के अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के तहत जारी की गई थी और न ही उनके पास इसके तहत कोई अधिकार था। 1989 के अधिनियम की धारा 43। प्रत्यर्थीगण के पास 1989 के अधिनियम और 1993 के नियमों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, जो याचिकाकर्तागण पर लगाए गए, लागू किए गए और आरोपित किए गए, जो न तो अधिनियम और नियमों द्वारा अधिकृत, न ही अनुमति या प्रत्यायोजित थे।

34. उक्त तथ्यों के आधार पर, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्तागण द्वारा की गई प्रार्थना संबंधित वर्षों के लिए नीति की घोषणा के योग्य है, जिसके तहत प्रत्यर्थीगण ने वर्ष के लिए निजी कॉलेज नीति के संबंधित खंड के तहत दंड प्रावधान लगाए हैं। 2015-2016 और शैक्षणिक सत्र 2018-2019 और 2021-2022 के लिए भविष्य के वर्षों के लिए और *पैरा-मटेरिया* प्रावधान अवैध हैं और इन्हें अपास्त करने की जरूरत है।

35. निजी कॉलेज नीति जिसमें दंड प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं, इस तथ्य के कारण भी अवैध है कि आयुक्त, कॉलेज शिक्षा या किसी अन्य प्राधिकारी को 1989 के अधिनियम के तहत शक्तियां नहीं सौंपी गई हैं। शीर्ष के निर्णय के आलोक में **कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा.)** के मामले में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के पास जुर्माना लगाने के लिए ऐसे निर्देश/निर्देश/नीति जारी करने का कोई अधिकार नहीं था।

36. ऊपर की गई चर्चा के आलोक में, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

(1) विभिन्न वर्षों के लिए आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निजी कॉलेजों के लिए नीति/निर्देशों में दंड खंड को उनकी शक्ति से परे माना जाता है और अवैध घोषित किया जाता है।

(2) संबंधित याचिकाकर्ता/कॉलेज द्वारा न्यायालय के आदेशों के तहत या निजी कॉलेज नीति के प्रावधानों के आलोक में जमा किया गया जुर्माना साठ दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्तागण/कॉलेजों को वापस कर दिया जाएगा, अन्यथा 60 दिनों की समाप्ति के बाद उसी पर 6% की दर से ब्याज देना होगा।

(3) यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों के आलोक में प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्तागण/कॉलेजों को वापस की गई राशि संबंधित याचिकाकर्तागण/कॉलेजों द्वारा "छात्र कल्याण कोष" में जमा की जाएगी, और कल्याण और बेहतरी के लिए उपयोग की जाएगी। ऐसे छात्रों की बकाया राशि चुकाने जैसी गतिविधियों में, जो शुल्क, चिकित्सा देखभाल, पुस्तकालय, और छात्रों के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं और सुविधाएं जमा करने में असमर्थ हैं और जिनका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

(4) राज्य के साथ-साथ प्रत्यर्थीगण को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान विवाद के कारण, छात्रों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और उनके परिणाम, मार्कशीट, प्रवेश-पत्र, अन्य दस्तावेजों को रोका नहीं जाना चाहिए और घोषित/जारी नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थीगण को 24×7 आधार पर प्रश्न में छात्रों की सहायता और सहायता करने के लिए निर्देशित किया जाता है। किसी भी छात्र को वर्तमान विवाद के कारण किसी भी भविष्य की परीक्षा या उपस्थिति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्तागण ने कहा है कि परिणाम घोषित न होने से छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं सहित भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने में पूर्वाग्रह हो रहा है।

37. इन सभी रिट याचिकाओं का निपटारा ऊपर दिए गए निर्देशों और टिप्पणियों के अनुसार किया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का भी उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटारा किया जाता है।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति

RAGHU/60-71,80-86,98,101-115,117-118,122-123,125-126

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।